			सम्मिलित किया जाएगा। इन विनियमों के उल्लघनों का परिणाम जुर्माना तथा/या ठेकों को रद्द किया जाना।		
11	**चारागाह भूमि तक पहुंच व उस पर प्रभाव**	सड़क निर्माण के कारण वर्तमान चारागाहों तक पहुंचने में बाधा आ सकती है जिससे पशुधन को इन चारागाहों तक पहुंचने मे कठिनाई होगी।	चरागाह भूमि तक पहुंचने के रास्तों को निर्माण तथा बाद में संचालन चरणों में निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से बनाए रखा जाएगा। ❑ कम्पनी निर्माण तथा बाद में परियोजना के संचालन चरण के दौरान चारागाह भूमि की पहुंच सुनिश्चित करेगी। ❑ निर्माण के दौरान किसी भी खराब हुए रास्ते की मरम्मत कर दी जाएगी। ❑ लोगों तथा पशुधन की चारागाहों में आने जाने की सुविधा के लिए रोक दीवारों के ढांचों में उपयुक्त सीढ़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। ❑ जहां कही आवश्यक होगा पशु संचलन के लिए उचित ढाल के साथ (अस्थायी या स्थायी) ढलान उपलब्ध कराऐ जाएगें। ❑ जहां सम्भव होगा सड़क को के मार्ग को बदल दिया जाएगा। ❑ समुदाय के साथ विचार-विमर्श करके वर्तमान मे बिगड़े हुए चारागाह भूमियों को ठीक किया जाएगा।	**<u>खण्ड - I</u>** ❑ तलिका 10.15, बिन्दु घ, पृ0 392 ❑ तालिका 10.3, पृ0 355 ❑ तालिका 10.6, बिन्दु 2, पृ0 357 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु ङ-4, पृ0 324 ❑ अनुभाग 10.18.2, पृ0 370-371 ❑ प्रतिबन्ध क, खण्ड (i) पर्यावरणीय निकासी के अनुरूप का एम ओ ई एफ पत्र दिंनाक 12.12.2000 संलग्नक क का भाग	

			❑ राज्य वन विभाग की सहायता से जैसाकि जलागम क्षेत्र उपचार योजना में निन्हित किए गए 200 है0 चारागाहों का विकास।		
12	**मलबा निपटान**	मलबे के अनुचित निपटान से नदी की पारिस्थतकीय को नुकसान हो सकता है अनुचित तरीके से निपटाए गए मलबे से फसलों को नुकसान हो सकता है।	कम्पनी राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, हि0 प्र0 सरकार द्वारा अनुमोदित मलबा निपटान योजना को क्रियान्वित करेगी, जिसमें निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। ❑ मलबा निपटान योजना के अनुसार कम से कम 30 प्रतिशत मलबे का पुनः प्रयोग, उचित घेरे तथा मलबे एवं कूड़े का ठोसी करण, भरे हूए मलबा स्थलों का वनारोपण तथा भूमि समतलीकरण ❑ अस्थायी मलबा डम्पिंग स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना-स्थलाकृति के साथ स्थान अनुकूलता, पर्याप्त सुराखों के साथ उचित सामग्री की रोक दीवार।	<u>**खण्ड - I**</u> ❑ अनुभाग 10.15, पृ0 362-365 और संलग्नक ज ❑ तालिका 10.1, बिन्दु खघ. 6, खघ.8 और खघ.9, पृ0 319 और 320.	❑ मलबा निपटान क्षेत्र का खाका, **संलग्नक V**
13	**वनों वनस्पति एवं वन्यजीवन पर प्रभाव**	ई एस आई ए में वन्यजीवन, बायोडाइर्वस्टी तथा नदीय परिस्थितकीय पर गहन अध्ययन नहीं किया गया है।	कम्पनी परियोजना क्षेत्र की जैव विविधता को बचाने के लिए कई गतिविधयों को क्रियान्वित करेगी, जिसमें सम्मिलित होगें। ❑ निम्नीकृत वन भूमि के 64 है0 से अधिक प्रतिपूर्ति वनरोपण ❑ वायू प्रदुषण को नियंत्रित करेन के लिए	<u>**खण्ड - I**</u> ❑ अनुभाग 10.1, बिन्दु क. 2, पृ0 316 ❑ बिन्दु खघ.3, पृ 318 ❑ बिन्दु सी.2, पृ0 321 ❑ बिन्दु ड.6, पृष्ठ 323	❑ फाउन्डेशन फौर इकोलौजिकल सेकर्योटी के मतस्यकी एवं नदी

			इष्टतम ब्लास्टिंग, नियत्रित यातायात प्रंबधन ❑ ऐलाइन एवं दुहंगन धाराओं में मछली पकड़ने के प्रयासां में यद्यपि कोई मछली नहीं पाई गई थी, एक बारहमासी मछली सर्वेक्षण किया जाएगा। ❑ फाऊनडेशन फार इकोलोजीकल सिक्यूरिटि (एफ ई एस) मुंसीयारी, जिला पिथौरागढ़ उंतरांचल एक वर्ष के लिए जलचर/नदीय जैव विविधता अध्ययन करेगी। ❑ इसके अतिरिक्त, वर्ल्ड फैसन्ट एसोसिएशन (डब्लयू पी ए), नई दिल्ली क्षेत्रीय जीव जन्तु तथा वनस्पति का तीन मौसमों की आधार पर अध्ययन करेंगें। ❑ यदि कोई निशाचर पशु-पक्षी उस क्षेत्र से हैं तो उनकों बाधा से बचाने के लिए,परियोजना क्रियाकलापों को सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम रोशनी ही की जाएगी। ❑ जलागम क्षेत्र उपचार योजना में 800 है0 से अधिक वनरोपण को क्रियान्वित किया जाएगा। ❑ ठेकेदारों तथा उनके कर्मचारियों को ठेकेदारी के प्रावधानों के माध्यम से पर्यावरणीय, स्वास्थ्य तथा कम्पनी के	❑ अनुभाग 10.12, पृष्ठ 355-358 ❑ अनुभाग 10.18.3, पृ0 371 ❑ तालिका 10.14, पृ0 361-362 ❑ तलिका 10.15, भाग ग, पृ 311	परिस्थितकिय के अध्ययन करने के स्वीकार पत्र की कापी **संलग्नक IXA** ❑ वर्ल्ड फेजेण्ट एसोसिऐशन-इंडिया के वन्यजीवन एवं फेजेण्ट के अध्ययन करने के स्वीकार पत्र की कापी **संलग्नक IXB**

			सुरक्षा प्रावधानों का पालन करने के लिए बंधित किया जाएगा तथा जो शिकार करेगें या वन्यजीवन तथा परियोजना क्षेत्र में वनस्पति को नुकसान पहुंचाएगें उन्हे भारी जुर्माना किया जाएगा तथा ठेकों को समाप्त किया जाएगा।		
14	**मत्स्य पालन पर प्रभाव**	ई एस आई ए में मत्स्य पालन के गहन अध्ययन का उल्लेख नहीं है।	यद्यपि ऐलाइन एवं दुहंगन धाराओं में मछली पकड़ने के प्रयासों के समय कोई मछली नहीं पाई गई थी, फाऊन्डेशन फार इकोलॉजीकल सिक्यूरिटी (एफ ई एस), पिथौरागढ़ के माध्यम से एक गहन जलचर/नदीय अध्ययन को समन्वयित किया जा रहा है। कम्पनी एफ ई एस की सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी। यह पहले ही सिफारिश की जा चुकी है कि अपवर्तन ढाचों के निचली धारा के प्रवाह को किसी जलचर पारिस्थतकी निचली धारा को बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रवाहों को बनाए रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, निर्माण तथा संचालन चरणों के दौरान मत्स्यकि मानिटिरिंग योजना को भी क्रियान्वित किया जाएगा।	**<u>खण्ड - I</u>** ❑ अनुभाग 7.7.3, पृ0 249 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु सं0 ग.2, पृ 321 ❑ अनुभाग 10.17, पृ 367-369 **<u>खण्ड - II</u>** ❑ मत्स्कीय अध्ययन - अध्ययाय 6.	❑ फौउन्डेशन फौर इकोलौजिकल सेकर्योटी के मतस्यकी एवं नदी परिस्थितकिय के अध्ययन करने के स्वीकार पत्र की कापी **संलग्नक IXA**

15	**ग्लेशियरों के सम्भाव्य "सुकड़ना" पर विचार नहीं हुआ है**	कुछ ग्रामीण सोचते हैं कि परियोजना से वैश्विक गरमाहट में बढ़ोतरी होगी तथा इसलिए, हिमालय के ग्लेशियरों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।	वैश्विक गरमाहट एक कार्बनडाईआक्साइड, मिथेन, नाईट्रोआक्साइड, ओजोन आदि ग्रीन हाऊस गैसों के उत्कर्षण से सम्बधित एक लक्षण है। परियोजना से ग्रीन हाऊस गैसों के उत्कर्षण की सम्भावना निर्माण चरण तक सीमित है वह भी राज्य द्वारा बिजली आपूर्ति न कराए जाने के दौरान होगी जब विद्युत को पूरा करने के लिए डिजल जैनरेटरों को चलाया जाएगा। परियोजना का संचालन चरण वास्तव में फौसिल ईंधन उत्कर्षणों में बचत करेगा क्योंकि 192 मेगावाट की विद्युत के उत्पादन के बराबर 40 टनों से अधिक प्रतिधंटा ज्वलनशील ईधन तेल की बचत होगी इसलिए प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना से वैश्विक गर्माहट की चिन्ताएं नहीं होगीं। साथ ही, ऐलाइन तथा दुहंगन धाराओं पर अपवर्तन ढांचे ग्लेशियरों की अपेक्षा बहुत नीची उंचाई पर हैं।		
16	**महिलाओं की संरक्षा एवं सुरक्षा**	बाहरी मजुदरों के आने के कारण महिलाओं की संरक्षा एवं सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा	❑ कम्पनी प्रीनि गांव में एक पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए धनराशि देगी। ❑ कम्पनी सभी परियोजना धटक स्थलों पर सुरक्षा स्टाफ उपलब्ध कराएगी। सुरक्षा कर्मचारियों को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।	**<u>खण्ड - I</u>** ❑ अनुभाग 3.3.10, पृ0 57 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु खघ. 14, पृ0 321 ❑ अनुभाग. 10.8.2, पृ. 342-345	❑ प्रीनि अनुबन्ध **संलग्नक III परिच्छेद 6** ❑ बार-बार पूछे जाने वाले

			❑ यदि ग्रामीणों द्वारा अनुरोध किया जाता है तो अतिरिक्त स्थानों पर सुरक्षा के प्रावधान पर विचार किया जाएगा। ❑ श्रमिको के लिए अलग कालोनी के साथ अलग सुविधाएं तथा उसको मॉनिटर करने के लिए नियमित जांच। ❑ सरकार को यह अनुरोध किया जाएगा की वह महिलाओं से संबधित स्थानीय शिकायतों को रजिस्टर में पंजीकृत करने के लिए महिला पुलिस कर्मचारी लगाए। यह सुझाव दिया जाता है की शिकायत निवारक सैल विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा से संबधित शिकायतों को पुलिस स्टेशन के साथ मॉनिटर करे। ❑ सभी ठेकेदारों को ठेके के प्रावधानों के माध्यम से कम्पनी के पर्यावरणीय, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियमों का स्थानीय सुरक्षा आवश्यकताओं के क्रियान्वयन सहित प्रतिबन्धित किया जाएगा। इन विनियमों के उल्लघनों का परिणाम जुर्माना तथा/या ठेकों की समाप्ति होगा।		प्रश्न दिनांक जनवरी 2, 2004, **संलग्नक IV, परिच्छेद 31.**
17	**क्षेत्र में श्रमिकों का**	प्रवासी श्रमिकों द्वारा प्रभावित गांवों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक	कः स्थानीय निवासियों के साथ श्रमिकों के मेलमिलाप के नियंत्रण की नियमित जांच ❑ निर्माण श्रम प्रबन्धन योजना, जिसमें	<u>**खण्ड – I**</u> ❑ अनुभाग 3.3.10, पृ0 57 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु क.	

	आवागमन	ढांचों में बाधा हो सकती है। बड़ी मात्रा में प्रवासी श्रमिकों के आवागमन से साफ-सफाई की परिस्थितियां पर प्रभाव होगा।	श्रमिकों के लिए आवास प्रबन्धन, श्रमिको के लिए ईधन व्यवस्था तथा उनके स्वास्थय प्रबन्धन सम्मिलित हैं। ❑ कम्पनी अपने श्रम ठेकों में यह शर्त रखेगी कि पहले स्थानीय श्रमिकों को और फिर पहाड़ी/नेपाली मजदूरों को भाड़े पर लेने के लिए वरीयता दी जाएगी। ❑ सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम कैम्प निकटतम गांव/बस्ती से उचित दूरी पर स्थापित किए जाएगें। इस धारा को ठेके में जोड़ा जाएगा। खः ठेकेदारों द्वारा शौचालयों, सीवेज एकत्रीकरण प्रणाली सहित निर्माण श्रमिकों के लिए नागरिक सुविधाओं का प्रावधान ❑ कम्पनी विभिन्न संचारीय रोगों, स्वास्थ्य तथा सफाई पर जागरूकता कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगी। ❑ कम्पनी कार्यकुशलता एवं कालोनियों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट जल के लिए उपचार संयत्रों को स्थापित करेगी तथा श्रमिकों के लिए ईंधन जैविक अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने का प्रावधान करेगी।	3, पृष्ठ 316 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु ख क, पृ0 317 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु खघ. 14, पृ0 321 ❑ अनुभाग 10.13, पृ0 358-361	

18	**ठोस अपशिष्ट निपटान**	ठोस अपशिष्ट अनुचित निपटान से स्वास्थ को खतरा हो सकता है सड़कों के लिए रोक दिवारों के निर्माण के दौरान मजदुरों को पर्याप्त शौचालय उपलब्ध नहीं करवाए गए।	कम्पनी ठोस मलबा निपटान के लिए निम्नलिखित उपायों को क्रियान्वित करेगी ■ सभी ठोस मलबा उत्पादन संसाधनों का पहचानीकरण। रसोई अपशिष्ट सहित सभी जैविक अपशिष्ट को खाद मिट्टी गढ्ढ़ों में डाला जाना। ❑ शौचालय सुविधाओं का निर्माण एवं श्रमिक कैम्पों के लिए सीवेज एकत्रीकरण और उपचार तंत्रः ❑ गांव में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण ❑ सभी निर्माण स्थलों पर शौचालयों का प्रावधानः तथा ❑ निर्माण गतिविधियों को आरम्भ करने से पहले सुरक्षा तथा मलबे एवं ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए व्यवहारिक कोडों का विकास।	<u>**खण्ड - I**</u> ❑ अनुभाग 3.6.3, पृ0 70-71 ❑ अनुभाग 7.2.4, पृ 227-228 ❑ तालिका 10.1, पृ0 क.3, पृ 316 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु क. 4, पृ 316 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु खक. 5, पृ0 317	❑ प्रीनि अनुबन्ध, **संलग्नक III, परिच्छेद 14**
19	**अपशिष्ट जल उपचार**	परियोजना द्वारा निपटाए गए अपशिष्ट जल से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है तथा इससे फसलों पर भी प्रभाव	कम्पनी परियोजना द्वारा उत्पादित अपशिष्ट जल के उचित प्रबंधन को निम्नलिचित तरीके से सुनिश्चित करेगी ❑ अपशिष्ट जल के लिए उपचार संयत्र (कैम्प, कालोनी तथा कर्मशाला से)	<u>**खण्ड - I**</u> ❑ अनुभाग 3.6.2, पृ0 70-71 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु खक. 1, पृ0 317	

		पड़ सकता है।	❑ धरेलू अपशिष्ट जल के लिए सीवेज उपचार संयत्र, डिस्टलिंग चैम्बरों से फ्लशिंग की नियंत्रित निकासी ❑ विक्रय आऊटलेट में उपचारित जल की निकासी से पहले नियमित भागीदारी से मॉनिटियरिंग की जाएगी।	❑ तालिका 10.1, बिन्दु ड.2, पृ0 322 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु ड.5, पृ0 323 ❑ तालिका 10.15, भाग क, बिन्दु 5, पृ 391	
20	**ध्वनि प्रदुषण के कारण प्रभाव**	उपस्करो एवं वाहनों के चलन से ध्वनि स्तरों मे बढावा होगा और क्षेत्र की शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।	कम्पनी परियोजना से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए सभी संभव उपायों को करेगी जिसमें सम्मिलित हैं : ❑ यदि कोई ढांचों को गिराने तथा हटाने का कार्य हो, तो केवल दिन के समय तक सीमित रखा जाएगा। ❑ दिन के समय संचालन, नियमित रखरखाव तथा उच्च्च शोर उत्पादक उपस्करों के लिए बाड़ो का प्रावधान। ❑ अनुकूल ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाना तथा शोर को कम से कम करने के लिए डी जी सैटों की नीवं में रबर पैडिग, निर्माण से संबधित मशीनरी का अनुकूल संचालन ❑ फ्लीट प्रबन्धन, गाड़ियो के यातायात को परियोजना क्षेत्र तक सीमित रखना। ❑ संचालन चरण के दौरान सीमित गाड़ियों का आवागमन, कम्पनी की गाड़ियो का	<u>खण्ड - I</u> ❑ अनुभाग 10.1, बिन्दु खख.1, पृ0 317 ❑ बिन्दु खग.2, पृ0 318 ❑ बिन्दु खघ.1 और खघ.3, पृ0 318 ❑ बिन्दु खघ.11, पृ0 320 ❑ बिन्दु खघ.12, पृ0 320 ❑ बिन्दु ड.3, पृ 322	

			नियमित रखरखाव ❑ बस्ती के निकट वाले क्षेत्र में सड़क निर्माण के साथ रूकावट शीटों का प्रावधान।		
21	**CykfLVx a**	परियोजना क्षेत्र में ब्लास्टिगं के कारण सतही कम्पन से वर्तमान आवासीय ढांचो को नुकसान हो सकता है। ब्लास्टिंग के कारण वर्तमान झरनों का प्रवाह बाधित हो सकता है।	कम्पनी ब्लास्टिगं के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव उपाय करेगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं ❑ विशिष्ट तकनीकों एवं विस्फोटको का प्रयोग ब्लास्ट बिन्दु से 81 मीटर के दूर के ढाचो पर सतही कम्पन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ❑ अनुकूल ब्लास्टिंग तकनीकों को प्रयोग, डिले डिटोनेटरों के प्रयोग को अपनाना, ब्लास्टिगं सीमित क्षेत्र में करना। ❑ भूमि कम्पनों की नियमित रूप से मानिटियरिंग की जाएगी। ❑ कम्पनी ग्रामीणों को विस्फोट समय के बारे में सूचित करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी की पशु और लोग ब्लास्टिंग के स्थानों से दूर हैं।	<u>खण्ड - I</u> ❑ अनुभाग 7.6.1, पृ0 193 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु बी घ.1 और बी घ.2, पृ0 254	❑ बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न दिनांक जनवरी 2, 2004 **संलग्नक IV, परिच्छेद 30**
22	**जलाशय सुरक्षा**	जलाशय की किसी असफलता से चारों तरफ के क्षेत्रों में बहुत	ऐलाइन बैराज तथा मध्यस्थ जलाशय की आधार से पूर्ण जलाशय स्तर की मापी गई उंचाई क्रमशः 12 मी0 तथा 14 मी0 है। फ्री बोर्ड प्रावधानों के	<u>खण्ड - I</u> ❑ अनुभाग 10.1, बिन्दु सं0 ड.8 पृ0 324	• ऐ लाइन एवं दुंहगन जल